1) उधारकर्ता को लागू लेखांकन प्रथाओं और मानकों के अनुसार पर्याप्त बही खातों का रखरखाव करना चाहिए, जो उसकी वित्तीय स्थिति और संचालन के पैमाने को सही ढंग से दर्शाएं और उसे बैंक को सूचना दिए बिना अपनी लेखाप्रणाली को मौलिक रूप से नहीं बदलना चाहिए।

2) बैंक को ,आरबीआई द्वारा समय-समय पर अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) या किसी अन्य संस्थान के साथ उचित क्रेडिट जानकारी साझा करने का अधिकार होगा।

3) बैंक के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय उधारकर्ता के बही खातों की जांच करें और अपनी पसंद के बैंक केअधिकारी (अधिकारियों) और / या अर्हताप्राप्त लेखापरीक्षकों और / या तकनीकी विशेषज्ञों और या प्रबंधन सलाहकारों द्वारा उधारकर्ता के कारखानों का निरीक्षण करवाएं । ऐसे निरीक्षण की लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

4) उधारकर्ता बैंक को ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना देगा जिससे उनके लाभ या व्यवसाय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है: उदाहरण के लिए, यदि मासिक उत्पादन या बिक्री दर्शाए गए की तुलना में काफी कम है, तो उधारकर्ता स्पष्टीकरण और उठाए गए और/या उठाए जानेवाले प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों को बैंक को तुरंत सूचित करेगा ।

5) उधारकर्ता धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करेगा जिस उद्देश्य से उन्हें उधार दिया गया है । किसी भी विचलन को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

6) चूक की स्थिति में, या जहां अंतर्निहित कमजोरी के संकेत स्पष्ट होते हैं, प्रभारित की गई संपत्तियों को सुरक्षित रखने का बैंक को अधिकार होगा और इस तरह के प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, बैंक उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) को उपयुक्त रूप से सूचित करेगा।

7) बैंक उधारकर्ता को उचित नोटिस देकर किसी भी समय स्प्रेड को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8) बैंक के पास किसी भी या सभी स्वीकृत सीमाओं को रद्द / निलंबित / कम करने और बिना कोई कारण बताएं केवल अपने विवेकाधिकार पर ब्याज दर सहित स्वीकृति की शर्तों में परिवर्तन / संशोधन / बदल करने का अधिकार सुरक्षित है।

9) बैंक के पास ऑडिट/अनंतिम बैलेंस शीट के आधार पर रेटिंग में गिरावट के मामले में स्प्रेड को संशोधित करके ब्याज दर बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

10) हमारी ब्याज दर, उसी उद्देश्य के लिए दिए गए उधार के मामले में और यदि वह कंसोर्टियम/एमबीए के अंतर्गत है तो किसी अन्य बैंक की ब्याज दर से कम नहीं होनी चाहिए ।

11) स्वीकृति केवल 3 महीने की अवधि के लिए वैध है। इसके बाद बैंक पुनर्वैधीकरण से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पुनर्वैधीकरण करने पर, पुनर्वैधीकरण के समय प्रस्ताव की समीक्षा के आधार पर ब्याजदर सहित नियम और शर्तों को बदलने का अधिकार बैंक सुरक्षित रखता है।

12) स्वीकृति में निर्धारित कुछ नियमों और शर्तों को स्वीकार नहीं करने के मामले में, उधारकर्ता को बैंक/ शाखा द्वारा स्वीकृति शर्तों के संप्रेषण की तारीख से 15 दिनों के अंदर स्वीकृति शर्तों में संशोधन के लिए बैंक से अनुरोध करना चाहिए । हालांकि संशोधन केवल बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

13) बैंक, समय – समय पर लागू बैंक के नियमों के अनुसार कानूनी राय शुल्क, इंजीनियर के मूल्यांकन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, आरओसी के साथ जाँच करने के लिए शुल्क, आरओसी पंजीकरण शुल्क, ईएम पंजीकरण शुल्क आदि जैसे विभिन्न फीस / शुल्क लगाने और वसूल करने का हकदार है।

14) जमानत के रूप में प्रस्तावित अचल संपत्तियों की स्वीकृति बैंक के अनुमोदित वकील (लों) की (गैर-अर्हताप्राप्त) कानूनी राय के अधीन है, जिसके द्वारा एक स्पष्ट, वैध, मौजूदा और विपणन योग्य हक़, बैंक के स्वीकृत इंजीनियर द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन, शून्य भार दिखाने वाला अद्यतित प्रमाणपत्र और कर तथा भुगतान रसीद से अवगत कराया जाएगा । इसकी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी ।

15) इन नियमों और शर्तों के अलावा, स्वीकृत सभी सुविधाएं बैंक के नियमों के साथ-साथ समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होंगी।

16) जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत गारंटी की पेशकश की है, उन व्यक्तियों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाना है।

17) नियम और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र की डुप्लिकेट प्रति लौटा दी जाएगी।

18) अग्रिम का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। उधारकर्ता को चार्टर्ड एकाउंटेंट से "अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र" प्राप्त करना होगा।" अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र" यह प्रमाणित करेगा कि निकाली गई धनराशि का उपयोग ऋण आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया गया है। किसी भी विचलन को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा।

19) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, प्राप्त की गई कार्यशील पूंजी सीमा की मंजूरी, उसकी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी । नवीनीकरण / वृद्धि के लिए कोई भी अनुरोध कम से कम तीन महीने पहले किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ बैंक के लिए आवश्यक सभी संबंधित जानकारी संलग्न होनी चाहिए।

20) सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा, भले ही नवीनीकरण के कागजात जमा किए गए हों या नहीं । हालांकि, सुविधाओं को जारी रखना बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा।

21) गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए संपत्ति कर के भुगतान की रसीदें हर साल प्रस्तुत की जाएंगी।

22) एक या अधिक सुविधाओं के लिए बैंक को दी गई एवं प्रभारित प्रतिभूतियां प्रदान की गई या समय-समय पर प्रदान की जानेवाली अन्य सभी सुविधाओं के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में लागू होंगी ।

23) बैंक को प्रभारित अचल संपत्तियों का मूल्यांकन तीन वर्षों में कम से कम एक बार या बैंक के निर्णय के अनुसार कम आवधिकता के अध्यधीन होगा ।

24) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाते में शेष राशि जिसमें प्रभारित/प्रभारीय आवधिक ब्याज शामिल है, हर समय आहरण सीमा के भीतर है ।

25) ब्याज महीने के अंतिम कार्य दिवस पर प्रति वर्ष देय मासिक आधार पर या भारतीय रिजर्व बैंक/बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार लगाया जाएगा और अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर लागू किया जाएगा ।